न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या-12/2022 **निर्णय दिनांक -13.11.2024**
(जी.सी.एम.एस.-2022/42)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)
अनवान –

01- आत्मप्रकाश पुत्र श्री हरीचन्द जाति बावरी निवासी 8 एपीडी (बी) भातीवाला तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगांगनगर राजस्थान

......**प्रार्थी**......

बनाम-

01- रामजीलाल पुत्र श्री ईमरताराम जाति नाई निवासी निवासी 8 एपीडी (बी) भातीवाला तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगांगनगर राजस्थान

02- जगदीश पुत्र श्री ईमरताराम जाति नाई निवासी निवासी 8 एपीडी (बी) भातीवाला तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगांगनगर राजस्थान

03- पतराम पुत्र श्री हरीचन्द जाति बावरी निवासी निवासी 8 एपीडी (बी) भातीवाला तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगांगनगर राजस्थान

04- सुखदेव पुत्र श्री हरीचन्द जाति बावरी निवासी निवासी 8 एपीडी (बी) भातीवाला तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगांगनगर राजस्थान

05- राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

.....**अप्रार्थीगण** ....

उपस्थिति-

01- श्री हितेन्द्रनारायण सारस्वत, वकील प्रार्थी।

02- श्री ओम धायल, वकील अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02।

03- पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर।

::-निर्णय ::-

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि:-

प्रार्थी के नाम से तहसील श्री विजयनगर के चक 8 ए.पी.डी. (बी) का प.नं. 243/401 मु.नं. 24 का किला नं. 3/1, 4, 5, 6/1, 7/1, 8/3 का कुल 1.0040 है. कमाण्ड खातेदारी रकबा है। तथा इसी प.नं. 243/401 मु.नं. 24 के किला नं. 12, 18/2, 19 ता 23, 24/2, 25/1 कुल 1.771 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा अप्रार्थी [illegible] 243/401 मु.नं. 24 के किला नं. 13 ता 17, 18/1, 24/1, [illegible] .771 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा अप्रार्थी संख्या 2 के [illegible] प.नं. 243/401 मु.नं. 24 के किला नं. 6/[illegible] रकबा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। जिसके [illegible] व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 [illegible] वा काबिज है। प्रार्थी के उक्त वर्णित रकबा में आना जाने के लिए कोई स्वीकृत [illegible] रास्ता नहीं है। जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.04 12:56:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मुरब्बा के किला नं. 25/2 व अप्रार्थी संख्या 1 के किला नं. 25/1 के साथ चिपते प. नं. 242/401 मु.नं. 25 के किला नं. 21 ता 25 तक पूर्व से पश्चिम दिशा में स्वीकृत शुदा गै.मु. रास्ता आता है। जो जमाबन्दी में दर्ज है। यह कि किला नं. 25/1 व 25/2 में मौका पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज है। प्रार्थी का रकबा अन्य काश्तकारों से घिरा हुआ है। जिसके कारण प्रार्थी के पास अपने रकबा में आने जाने के लिए व अपने कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने व फसल का बिजान एवं फसल को मण्डी तक ले जाने में भारी परेशानी होती है। प्रार्थी अन्य काश्तकारों की भूमि में से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता है प्रार्थी के पास अपने रकबा में आने जाने के लिए कोई स्थाई व सुगम रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपने रकबा में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के किला नं. 25/1 से एवं अप्रार्थी संख्या 2 के रकबा किला नं. 25/2, 16, 15 में पूर्व दिशा में पत्थर लाईन के साथ साथ होते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के किला नं. 6/2 से होते हुए किला नं. 6/1 की हद तक 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जो सबसे छोटा व सुगम रास्ता है। रास्ता में आनी वाली भूमि की एवज में प्रार्थी रास्ता में आई भूमि के बदले में प्रतिफल राशि अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने व कृषि यन्त्रों को लाने ले जाने व फसल को मण्डी तक ले जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि में उपरोक्त वर्णित अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा प.नं.243/401 मु.नं. 24 के किला नं. 25/1 में पूर्व दिशा में पत्थर लाईन के साथ साथ एवं अप्रार्थी संख्या 2 के रकबा प.नं.243/401 मु.नं. 24 के किला नं. 25/2, 16, 15 पूर्व दिशा में पत्थर लाईन के साथ साथ होते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के किला नं. 6/2 से होते हुए किला नं. 6/1 की हद तक 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 02 द्वारा जरिये वकील न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 ता 04 द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चाहे गये रास्ता को स्वीकृत करने हेतु सहमति प्रदान की गई। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा भू-अ0नि0 वृत 8 एसटीबी एवं पटवारी हल्का 7 एपीडी की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रेषित किया गया। भू-अ0नि0 एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता परम आवश्यक है। उक्त जोत तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, नजरी नक्शा संलग्न है। रास्ते की परम आवश्यकता है, जो कि नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। न्युनतम एवं निकटतम विकल्प व्यवहारिक है। चाहा गया सम्पूर्ण रास्ता खातेदारान की भूमि में से होकर जाता है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी रकबा तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत भू.अ.नि. क्षेत्र की मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.04 12:56:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपने खातेदारी रकबा को काश्त करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक/स्वीकृत शुद्धा मार्ग नही है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार करने योग्य है।

-:क्रियान्वन आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा वाके चक 8 एपीडी-बी तहसील श्रीविजयनगर के प.नं.243/401 मु.नं. 24 के किला नं. 25/1 में पूर्व दिशा में पत्थर लाईन के साथ साथ एवं अप्रार्थी संख्या 2 के रकबा प.नं.243/401 मु.नं. 24 के किला नं. 25/2, 16, 15 पूर्व दिशा में पत्थर लाईन के साथ साथ होते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के किला नं. 6/2 से होते हुए किला नं. 6/1 की हद तक 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ते में आई भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही स्वीकृत रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 13/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर, जिला अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.04 12:56:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner